कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा–मा./अनु.नियु./ए–4/61233/प्रशास ग्रेड–III/अनुमोदन/2025 दिनांकः– यथा हस्ताक्षरित

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषय :– अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के परीक्षणार्थ नवीन जाँच सूची जारी करने के क्रम में।

उपर्युक्त वियान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग ने दिनांक 16.07.2021 द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक प्रकरण में केस प्रभारी नियुक्त किया जाकर समयबद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जावे।**इस कार्य बाबत पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 05.03.2022 से प्रकरणों के तत्काल निस्तारण एवं प्राबोधन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभारी नियुक्त किए गये है।** तद्उपरांत भी यह ध्यान में आया है किकतिपय प्रकरणों में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो कि न केवल गंभीर लापरवाही को इंगित करता है वरन् असंवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में अनुकंपा प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा नियमानुसार परीक्षण कर आवेदन पत्र अग्रेषण हेतु चैकलिस्ट निर्धारित है। प्रकरण में लौटा फेरी ना होने तथा निस्तारण हेतु चैक लिस्ट में परीक्षण कर भेजने चाहिए परन्तु बहुत से प्रकरणों में चैकलिस्ट से जाँच किये बिना ही नियुक्ति की अनुशंषा कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जा रहे है। कई प्रकरण तो अपात्र आवेदकोंके प्रकरण भी नियुक्ति हेतुभिजवा दिये जाते है।**अनुकम्पात्मक नियुक्ति का मूल उद्देश्य पीड़ित परिवार को तुरंत राहत प्रदान करना है। अनावश्यक विलम्ब सरकार के उद्देश्य को प्रभावित करता है।**

अतः उपर्युक्त क्रम में पुनःनिर्देशित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम–1996, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2022 के अनुशरण में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यालय स्तर पर निर्धारितकार्यवाहीसुनिश्चित कर,सलंग्न चैक लिस्ट सूची अनुसार परीक्षण करें तथा परीक्षण उपरांत अपनीस्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण निदेशालय भिजवावें। बिना परीक्षण किए तथा **अनावश्यक विलम्ब से प्रकरणप्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।**

संलग्न :–

- **नवीन चैक लिस्ट प्रारूप**
- **परिपत्र दिनांक 16.07.2021**
- **पत्र दिनांक 05.03.2022**

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.: 13633057

जाँच सूची

मृतक का नाम	
मृतक का पद नाम	
मृतक का पदस्थापन स्थान	
मृतक की मृत्यु तिथि	
मृतक कार्मिक से आवेदक का संबंध	
आवेदित पद का नाम वेतनमान	
आवेदक का नाम	
आवेदक की जन्म तिथि	
प्रथम आवेदन तिथि	
प्रथम आवेदन की दिनांक को आवेदक की आयु	
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	
आवेदित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता है अथवा नहीं	
प्रथम बार आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित समयावधि में है अथवा नहीं	

क्र.स.	जाँच के बिन्दु	पूर्ण / नहीं	संलग्नक संख्या
01	परिशिष्ठ–01 पूर्ण भरकर परीक्षणोंपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) तथा संयुक्त निदेशक की स्पष्ट अनुशंषा		
02	आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्ठियाँ मय प्रमाणन अंकित है / नहीं		
03	सेवा नियमित एवं निरंतर होने का प्रमाण पत्र		
04	मृतक के आश्रित परिवार के संबंध में नियम–5 का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
05	आवेदक विवाहित होने पर आवेदक के परिवार के संबंध में नियम–5 का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
06	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के अविवाहित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
07	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
08	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
09	मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल)		
10	सेवा समाप्ति आदेश की प्रमाणित प्रति		
11	आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यताऐं		
12	मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र		
13	आवेदक सहित मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 05 का शपथ–पत्र		
14	आवेदक के विवाहित होने पर आवेदक एवं आवेदक की पत्नी के नियम 05 के शपथ–पत्र		
15	आवेदक का मृतक आश्रित परिवार की पेंशन राशि सहित आय का शपथ–पत्र		
16	अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नही होने का आवेदक का शपथ–पत्र		
17	मृतक आश्रित परिवार के भरण–पोषण के संबंध में आवेदक का शपथ–पत्र		

18	● आवेदक अविवाहित होने पर अविवाहित होने का शपथ–पत्र ● आवेदक परित्यक्ता / विधवा पुत्री होने पर पुनर्विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र		
19	आवेदक पत्नी / पति होने की स्थिति में पुनः विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र		
20	शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का आवेदक का शपथ पत्र।		
21	शिथिलन की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के संतुष्ट होने पर दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) का प्रमाण–पत्र, क्रमांक / दिनांक मय स्पष्ट अनुशंषा		
22	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो औचित्य सहित शपथ–पत्र		
23	आवेदक के विवाहित होने पर बच्चों की जन्मतिथि सहित आवेदक का सन्तान सम्बन्धी शपथ–पत्र		
24	आवेदक / मृतक / आश्रितों के नाम / उपनाम में विसंगति के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ–पत्र		
25	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र		
26	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र		
27	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का आवेदक का शपथ पत्र।		
28	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के परिवार का वंशवृक्ष		
29	विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव		
30	कार्मिक / आश्रित परिवार के सदस्यों के दो पृथक नामों के संबंध में वैधानिक दस्तावेज		
31	अन्य राज्य की शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में शैक्षणिक दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड से वैधता प्रमाणन		
32	आवेदक द्वारा नियुक्ति हेतु चाहे गये जिले (वरीयतानुसार समस्त जिले) हेतु विकल्प पत्र।		
33	प्रकरण की प्रकृति, (यथा दत्तकपुत्र / पुत्री / विवाहित पुत्री / परित्यकता पुत्री, कार्मिक के दो पत्नी होने की स्थिति अथवा गर्भस्थ शिशु / लापता कार्मिक)संलग्न दस्तावेजों, परिस्थितियों के आधार पर नियमानुकुल आक्षेप।		

प्रारूप बिन्दु संख्या–04

मृतक के आश्रित परिवार के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/विभागाध्यक्ष स्वयं द्वारा क्रमांक/दिनाक सहित निर्धारित भाषा में नियम–5 का प्रमाण–पत्र :–

- यह कि स्व. .... के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

प्रारूप बिन्दु संख्या–05

जिला शिक्षा अधिकारी/विभागाध्यक्ष स्वयं द्वारा क्रमांक/दिनाक सहित निर्धारित भाषा में आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में नियम–5 का प्रमाण–पत्र :–

- यह कि स्व....... के आश्रित पुत्र श्री......... के आश्रित परिवार में आवेदक की पत्नी/पति/पुत्र व अविवाहित पुत्री सहित आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई हैं।
  (यदि आवेदक विवाहित है तो)

प्रारूप बिन्दु संख्या–06

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में **कार्मिक के अविवाहित होने का** जिला शिक्षा अधिकारी का **स्वयं द्वारा क्रमांक/दिनाक सहित** प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय कार्मिक अविवाहित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या–07

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में **आवेदक के अविवाहित होने का** जिला शिक्षा अधिकारी का **स्वयं द्वारा क्रमांक/दिनाक सहित** प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय एवं वर्तमान में आश्रित आवेदक अविवाहित है।

प्रारूप बिन्दु संख्या–08

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का जिला शिक्षा अधिकारी का **स्वयं द्वारा क्रमांक/दिनाक सहित** प्रमाण–पत्र। जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि आवेदक ....मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय मृतक कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या–12

- यह कि यदि विभाग द्वारा आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री...................को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है तो मुझे व मृतक के शेष आश्रितों को कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूं।

प्रारूप बिन्दु संख्या–13

मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 05 के अनुसार शपथ–पत्र :–

- यह कि स्व. .... के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

प्रारूप बिन्दु संख्या–14

आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक एवं आवेदक की पत्नी के नियम 05 के अनुसार शपथ–पत्र

- यह कि मेरे आश्रित परिवार में, मै स्वयं, मेरी पत्नी/पति एवं पुत्र/अविवाहित पुत्री में से कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई हैं। **(यदि आवेदक विवाहित है तो)**

प्रारूप बिन्दु संख्या–15

- स्व.........के स्वर्गवास के पश्चात् हमारे परिवार की मासिक आय पेंशन सहित निम्नानुसार हैं। यह कि उपरोक्त के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है।

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	आयु	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय रूपये
मृतक आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के नाम					

प्रारूप बिन्दु संख्या–16

आवेदक का मृतक आश्रित परिवार का अन्य कोई आश्रित नियुक्ति का हकदार नहीं होने के संबंध मे निम्नानुसार शपथ–पत्र :–

- यह कि यदि मुझे विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है तो इसके बाद मृतक का अन्य कोई आश्रित नियुक्ति का हकदार नहीं होगा ना ही आश्रित नियुक्ति का क्लेम करेगा।

प्रारूप बिन्दु संख्या–17

आवेदक का मृतक आश्रित परिवार का भरण पोषण के संबंध मे निम्नानुसार शपथ–पत्र :–

- आवेदक का भरण पोषण के संबंध में शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मैं मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण–पोषण करूंगा। यदि मैं मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण पोषण नहीं करता हूं तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।

प्रारूप बिन्दु संख्या–18

आवेदक का अविवाहित एवं पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध मे निम्नानुसार शपथ–पत्र :–

- आवेदक का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि स्व. .... के निधन के पश्चात मैं आदिनांक तक अविवाहित हुं। **(यदि आवेदक अविवाहित है तो)**
- आवेदक का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि स्व. .... के निधन के पश्चात मैंने आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है।**(यदि आवेदिका परित्यकता/विधवा है तो)**

प्रारूप बिन्दु संख्या–19

आवेदक विधवा/विधुर होने की स्थिति में पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध मे निम्नानुसार शपथ–पत्र :–

- यह कि स्व. .... के निधन के पश्चात मैंने आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

प्रारूप बिन्दु संख्या–20

- यह कि स्व. .... के निधन के पश्चात् मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है तथा स्व..........के स्वर्गवास के पश्चात् हमारे परिवार की मासिक आय पेंशन सहित निम्नानुसार हैं। यह कि उपरोक्त के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है।

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	आयु	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय रूपये
मृतक आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के नाम					

प्रारूप बिन्दु संख्या–21

- शिथिलन की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के संतुष्ट होने पर दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) का प्रमाण–पत्र, क्रमांक/दिनांक मय स्पष्ट अनुशंषा। मृतक कार्मिक के परिवार की आर्थिक स्थिति का मेरे स्वयं द्वारा परीक्षण कर लिया गया है कार्मिक की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जिससे मै पूर्ण रूप से सहमत हू मेरे द्वारा इनकी अनुकम्पात्मक नियुक्ति की अनुशंषा की जाती है।

प्रारूप बिन्दु संख्या–22

- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का पूर्ण औचित्य सहित शपथपत्र जिसमें स्पष्ट हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय निर्धारित 90 दिन में आवेदन नहीं करने तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने का औचित्य पूर्ण कारण अंकित करे।

प्रारूप बिन्दु संख्या–23

- दिनांक 01.06.2002 को व दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों पुत्र/पुत्री की संख्या ....थी ।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि
बच्चों पुत्र/पुत्री का विवरण			

- दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वद्धि नहीं हुई है।

अथवा

- दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वद्धि हुई है व वर्तमान में मेरे बच्चों पुत्र/पुत्री की कुल संख्या......................है।**(यदि आवेदक/आवेदिका विवाहित है तो)**

प्रारूप बिन्दु संख्या–24

- ....व.............दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जो नाम .... के ही है। भविष्य में यदि इस संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। यदि इस संबंध में असत्यता पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

  (यदि नाम/उपनाम विसंगति होने की स्थिति में)

प्रारूप बिन्दु संख्या–25

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- मृतक कर्मचारी स्व. ....मृत्यु दिनांक.................तक अविवाहित था/थी।

प्रारूप बिन्दु संख्या–26

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- आश्रित आवेदक ....मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय एवं वर्तमान में अविवाहित है।

प्रारूप बिन्दु संख्या–27

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- आवेदक ....मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय मृतक कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या–28

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में **कार्मिक के परिवार का वंश वृक्ष के संबंध में दस्तावेज(सक्षम स्तर द्वारा जारी)**

प्रारूप बिन्दु संख्या–29

- विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव

प्रारूप बिन्दु संख्या–30

- कार्मिक/आश्रित परिवार के सदस्यों के दो पृथक नामों के संबंध में वैधानिक दस्तावेज **यथा गजट नोटिफिकेशन**

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा–मा./अनु.नियु./ए–4/61233/प्रशास ग्रेड–III/अनुमोदन/2025 दिनांकः– यथा हस्ताक्षरित

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषय :– अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के परीक्षणार्थ नवीन जाँच सूची जारी करने के क्रम में।

उपर्युक्त वियान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग ने दिनांक 16.07.2021 द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक प्रकरण में केस प्रभारी नियुक्त किया जाकर समयबद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जावे।**इस कार्य बाबत पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 05.03.2022 से प्रकरणों के तत्काल निस्तारण एवं प्राबोधन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभारी नियुक्त किए गये है।** तद्उपरांत भी यह ध्यान में आया है किकतिपय प्रकरणों में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो कि न केवल गंभीर लापरवाही को इंगित करता है वरन् असंवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में अनुकंपा प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा नियमानुसार परीक्षण कर आवेदन पत्र अग्रेषण हेतु चैकलिस्ट निर्धारित है। प्रकरण में लौटा फेरी ना होने तथा निस्तारण हेतु चैक लिस्ट में परीक्षण कर भेजने चाहिए परन्तु बहुत से प्रकरणों में चैकलिस्ट से जाँच किये बिना ही नियुक्ति की अनुशंषा कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जा रहे है। कई प्रकरण तो अपात्र आवेदकोंके प्रकरण भी नियुक्ति हेतुभिजवा दिये जाते है।**अनुकम्पात्मक नियुक्ति का मूल उद्देश्य पीड़ित परिवार को तुरंत राहत प्रदान करना है। अनावश्यक विलम्ब सरकार के उद्देश्य को प्रभावित करता है।**

अतः उपर्युक्त क्रम में पुनःनिर्देशित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम–1996, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2022 के अनुशरण में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यालय स्तर पर निर्धारितकार्यवाहीसुनिश्चित कर,सलंग्न चैक लिस्ट सूची अनुसार परीक्षण करें तथा परीक्षण उपरांत अपनीस्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण निदेशालय भिजवावें। बिना परीक्षण किए तथा **अनावश्यक विलम्ब से प्रकरणप्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।**

संलग्न :–

- **नवीन चैक लिस्ट प्रारूप**
- **परिपत्र दिनांक 16.07.2021**
- **पत्र दिनांक 05.03.2022**

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :17-03-2025 11:07:46

आवेदन–पत्र का प्रारूप
भाग–1

1. मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद :
2. मृतक राज्य कर्मचारी की पहचान संख्या (Employee ID) :
3. निधन की दिनांक एवं स्थान (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :
4. विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था :
5. मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान :
6. नियुक्ति का प्रकार : (स्थाई / अस्थाई) :
7. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक :
8. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का विवरण :–

(केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जायें)

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय * रूपये
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

*नियम 10(3) में यथा वर्णित शपथ–पत्र संलग्न करें।

भाग –2
राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण –

आवेदक की फोटो

1. नाम
2. जन्मतिथि
3. आवेदन की दिनांक को आयु :.....वर्ष.......माह......दिन, 4. जनाधार संख्याः.......................
5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
6. मृतक राज्य कर्मचारी से संबंध
7. आवेदित पद का नाम व वेतनमान
8. आश्रित आवेदक का स्थाई पता:–
9. तहसील : 10. विधानसभा क्षेत्र
11. ई–मेल आई. डी. 12. मोबाईल नम्बर

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

भाग –3

यदि आवेदक विधवा स्वयं नही है तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैने आवेदन के भाग (1) व (2) में उल्लिखित सूचना पढ़ ली हैं। भली प्रकार सुन ली हैं। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति हैं। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का घोषणा पत्र संलग्न हैं।

विधवा के हस्ताक्षर

साक्ष्य : 1.
2.

भाग –4

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक .... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या .... दिनांक .... पद दर्ज हैं।

(2) आवेदन पत्र में अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है। नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .... नियुक्ति का पात्र हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग – 5

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि –

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद .... विभाग में नहीं हैं। अतः आवेदन पत्र .... को अग्रषित किया जा रहा है।

(2) मृतक कर्मचारी के नियम के पश्चात् आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी गई हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)